न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, अनपरा स्थित ओबरा,
सोनभद्र।
प्रकीर्ण वाद संख्याः— 02/18
हरिप्रसाद बनाम वन विभाग

10.02.2018

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थना पत्र 5ग मय शपथ पत्र 6ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम द्वारा प्रार्थी पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संस्थित करने में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.07.2017 को पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध उक्त प्रकीर्ण सिविल अपील दिनांक 02.11.2017 को दाखिल की गयी है। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 27.07.2017 को होने के उपरान्त नकल प्राप्त करने एवं प्रार्थी के अस्वस्थ होने तथा स्वस्थ होने पर बिना विलम्ब के अपील प्रस्तुत किया गया है। दौरान बहस विपक्षी वन विभाग के विशेष अधिवक्ता द्वारा कोई सारभूत आपत्ति नही की गयी। प्रकरण को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किए हेतु न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र 5ग मय शपथ पत्र 6ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकृत। प्रकीर्ण सिविल अपील संस्थित किए जाने में कारित विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली मय आदेश उपरोक्त माननीय जनपद न्यायाधीश सोनभद्र के समक्ष पुनः उचित आदेश हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावें। उभय पक्ष माननीय न्यायालय जिला जज सोनभद्र के समक्ष दिनांक 27.02.2018 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर जनपद न्यायाधीश,
अनपरा स्थित ओबरा, सोनभद्र।
10.02.2018